समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने का अभियान

3251. **श्री राम जेठमलानी :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 दिसम्बर 1993 के "दी ट्रिब्यून" में "मूव टू स्टेथिन आई० आर०डी०पी०" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये चलाई जा रही योजनाओं में सुधार लाने का निर्णय लिया है ;

(ग) सुधार लाने हेतु किये जाने वाले परिवर्तनों का योजना-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सुधार से गत वर्षों की तुलना में कितने अधिक परिवारों को लाभ पहुंचेगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई पटेल): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सुधार लाने के लिये कई कदम उठाये हैं । प्रति व्यक्ति निवेश में वृद्धि को सुकर बनाने के उद्देश्य से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सबसिडी पर अधिकतम सीमा को अगस्त, 1993 से सभी श्रेणियों के लिये 1000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है । प्रति व्यक्ति निवेश के स्तर, विवरणियों तथा ऋण पुनर्भुगतान के पैटर्न के संबंध में प्रायोगिक जिलों में पूर्व उत्साहवर्धक परिणामों को देखते हुये अब देश के 219 जिलों में परिवार ऋण योजना को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है । इसके अतिरिक्त मंत्रालय की पहल पर भारतीय रिजर्व बैंक के उप राज्यपाल श्री वी० आर० मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं की समीक्षा करेगी और सुधारों के लिये अपनी सिफारिशें देगी ।

(घ) 1992–93 में कवर किये गये 20.68 लाख परिवारों की तुलना में 1993–94 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 25.7 लाख परिवारों को सहायता दिये जाने का लक्ष्य है । 1994–95 के दौरान परिवार ऋण योजना का लाभ 1.05 लाख परिवारों को उपलब्ध कराया जायेगा । इन सुधारों से उधार देने की गुणवत्ता को सुकर बनाया जा सकेगा और समग्र निष्पादन में सुधार हो सकेगा ।

सांसदों द्वारा स्थानीय क्षेत्र के विकास हेतु दिशा-निर्देश

3252. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :** क्या **प्रधान** मंत्री 3 मार्च, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1511 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्र के विकास की योजना को लागू किये जाने के संबंध में सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन दिशा-निर्देशों/अनुदेशों को अंतिम रूप देने से पहले सरकार ने किसी विशेषज्ञ समिति की राय ली थी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या यह सही नहीं है कि देश के ग्रामीण अंचलों में बढ़ती हुई गरीबी को रोकने के लिये इन क्षेत्रों को बारह मासी सड़कों से जोड़े जाने की आवश्यकता है जिससे कि इन अंचलों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार अब इन दिशा-निर्देशों/अनुदेशों में संशोधन करके इन ग्रामीण अंचलों में सड़क निर्माण विकास को प्राथमिकता देने का विचार रखती है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीणविकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) सांसद स्थानीय विकास योजना की मार्गदर्शिकाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये है । (नीचे देखिये) यदि मार्गदर्शिकाएं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के दिनांक 22.2.94

के पत्र संख्या पी 18018/2/94-पी०एंड०आर० के द्वारा पहले ही सभी संसद सदस्यों को भेजी जा चुकी हैं ।

(ग) और (घ) ग्रामीण सड़कें और गांवों की सड़कों से जोड़ने का विषय राज्य का है और इसके लिये राज्य योजना/बजट में प्रावधान किया जाता है। यह मंत्रालय ग्रामीण सड़कों हेतु ऐसी कोई योजना कार्यान्वित नहीं करता है । तथापि, संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के पैरा 2.5 में की गई व्यवस्था के अनुसार ग्रामीण सड़कों अथवा पहुंच सड़कों अथवा पहुंच सड़कों पर पुलों के निर्माण को उन निर्माण कार्यों की निदर्शी सूची में पहले ही शामिल कर लिया गया है जो संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत किये जा सकते हैं ।

विवरण

'सांसद स्थानी क्षेत्र विकास योजना" के अन्तर्गत प्रत्येक संसद सदस्य के पास जिस कलेक्टर को अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये की लागत तक के निर्माण कार्यों का सुझाव देने का विकल्प होगा जिसमें किसी भी कार्य की लागत दस लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये । राज्य सभा के सदस्य, जिस राज्य से वे चुने गये हैं अपनी पसन्द के निर्माण कार्यों को इस योजना के अन्तर्गत करवाने के लिये राज्य के किसी भी जिले का चयन कर सकते हैं । संसद सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर इन मार्ग-दर्शिकाओं के अनुसार प्राथमिकतायें निर्धारित की जायेंगी ।

इस योजना के अन्तर्गत सिफारिश किये गये निर्माण कार्य जिला योजनाओं और जिले में चल रहे केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों के अन्तर्गत परियोजनाओं और कार्यों के सामान्य स्वरूप के अनुरुप होने चाहिये । उनका कार्यान्वयन सभी अन्य निर्माण कार्यों के साथ किया जा सकता है लेकिन वे संसद सदस्य के विकल्प के अनुसार एक प्रकार से भिन्न हो सकते हैं । इस प्रकार वे जिले में एक जैसे कार्यों जिन्हें जन-प्रतिनिधि संस्थाओं के विभिन्न स्तरों के अन्तर्गत कार्यान्वित किया जाता है, के लिये स्वीकृतियों और कार्यान्वयन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियायें अलग नहीं होगी ।

संसद सदस्यों के सुझावों को इन मार्ग-दर्शिकाओं के अन्तर्गत जिला कलेक्टरों द्वारा संकलित किया जायेगा और उन पर विचार किया जायेगा तथा जहां तक संभव हो सकेगा जिला योजना कार्यक्रमों और जिला स्तर पर चल रहे सामान्य प्रक्रियाओं का पालन करने वाले अन्य केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र के कायक्रमों में शामिल किया जायेगा ।

इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रमुख रूप से परिसंपत्ति सृजन के कार्य होंगे और इसमें किसी सामान, उपकरण आदि की खरीद अथवा राजस्व खर्च की अनुमति नहीं होगी । निर्माण कार्य ऐसे स्वरूप के होने चाहियें जिन्हें एक अथवा दो कार्य मौसमों में पूरा किया जा सकता हो और जिनसे टिकाऊ स्वरूप की परिसपत्तियों का सृजन होता हो । यह योजना स्थानीय तौर पर महसूस की गई आवश्यकताओं के अनुसार छोटे आकर के विकास कार्यों का चयन करने और उनकी सिफारिश करने के लिये है सुझाव दिये गये कार्य की लागत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये । जिस निर्माण कार्य का सुझाव दिया जा सकता है और जिसे शुरू किया जा सकता है उसे जिला योजना और विशेष रूप से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली निर्माण कार्यों की किसी श्रेणी का होना चाहिये ।

योजना के अन्तर्गत शुरू किये जा सकने वाले निर्माण कार्यों की निदर्शी सूची निम्नलिखित है:-

(1) स्कल भवनों का निर्माण ।

(2) ट्यूबवल खोदकर अथवा इस संबंध में अन्य निर्माण कार्यों की सहायता से गांव, शहर अथवा नगरों में लोगों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था करना ।

(3) ग्रामीण सड़कों अथवा पंहुच सड़कों का निर्माण ।

(4) पहुंच सड़कों पर पुलों का निर्माण ।

(5) वृद्ध अथवा विकलांग लोगों के लिये सामान्य रैन बसेरों का निर्माण ।

(6) स्थानीय निकायों अथवा सांस्कृतिक और खेल-कूद की गतिविधियों के लिये अथवा अस्पतालों के लिये भवनों का निर्माण ।

(7) सरकारी और सामुदायिक भूमि पर सामाजिक वानिकी, फार्म वानिकी, बागवानी, उद्यान और पार्क ।

(8) गांव के तालाबों की गाद निकालना ।

(9) सिंचाई नहरों का निर्माण ।

(10) गोबर गैस सयत्रों, गैर परम्परागत ऊर्जा प्रणालियों/साधनों का सामुदायिक इस्तेमाल और सम्बन्धित कार्य कलापों के लिये निर्माण ।

(11) लघु सिंचाई बांधों का निर्माण अथवा उठान सिंचाई योजनायें अथवा जल स्तर की संपूर्ति की योजनायें ।

(12) सार्वजनिक वाचनालयों/अध्ययन कक्षों का निर्माण ।

(13) बालवाड़ियां और आंगन-वाडियां ।

(14) जन-स्वास्थ्य देखभाल भवनों का निर्माण जिनमें ए०एन०एम० आवासीय क्वाटरों सहित परिवार कल्याण उप केन्द्र शामिल हैं ।

(15) शवदाह गृह/कब्रिस्तान ।

(16) सार्वजनिक शौचालयों और स्नानघरों का निर्माण ।

(17) नालियां तथा नाले ।

(18) पैदल पार पथ, पगडन्डियां और पैदल पुल ।

(19) शहरों और नगरों की गन्दी बस्तियों में तथा गांवों में बिजली, पानी, पगडडियां सार्वजनिक शौचालयों आदि जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था, गन्दी बस्तियों में कारीगरों के लिये सामान्य कार्यशालाओं की व्यवस्था ।

(20) आदिवासी क्षेत्रों में रिहायशी स्कूल ।

(21) सार्वजनिक यातायात में यात्रियों के लिये बस शैड/स्टैंड ।

(22) पशु चिकित्सा केन्द्र ।

इस योजना के अन्तर्गत विशेष रूप से निम्नलिखित सूची में दर्शाये गये कार्यों को करने की अनुमति नहीं होगी ।

(क) ऐसे कार्य जो जिला योजना के कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं ।

(ख) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों/एजेंसियों अथवा संगठनों के लिये कार्यालय भवन, रिहायशी भवन, दूरदर्शन केन्द्र अथवा अन्य भवन ।

(ग) वाणिज्यिक संगठनों, ट्रस्टों, पंजीकृत सोसायटियों, निजी सस्थाओं, सहायतार्थ सस्थाओं अथवा सहकारी सस्थाओं के लिये निर्माण-कार्य ।

(घ) दस लाख से अधिक लागत वाले निर्माण कार्य ।

(ङ) किसी भी प्रकार के मरम्मत और रख-रखाव कार्य ।

(च) किसी भी प्रकार के सामान अथवा भंडार की खरीद ।

(छ) भूमि का अर्जन अथवा अर्जित भूमि के लिये कोई मुआवजा ।

(ज) व्यक्तिगत लाभ के लिये कोई परिसंपत्तियां, इसमें वे परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं जो अनुमोदित योजनाओं का अग है ।

(झ) पूजा के लिये स्थान ।

(ण) अधूरी योजनाओं को पूराक रना।

इस योजना के अतर्गत आने वाले किसी भी निर्माण कार्य के लिये ठेकेदारों अथवा सप्लायरों को किसी भी प्रकार के अग्रिम भुगतान की अनुमति नहीं है । जहां कहीं सम्बंधित मार्ग-दर्शिकाओं में ठेकेदारों/प्रायोजकों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है वहां इस योजना में भी ठेकेदारों/प्रायोजकों के अनुबधन पर पाबन्दी है ।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रभावशाली निगरानी के लिये जिला कलेक्टर कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण करेगा और जिला, उप-मंडल तथा खंड स्तर के अन्य अधिकारी भी मार्गदर्शिकाओं के अनुसर उल्लिखित नर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगें । राज्य आयोजना विभाग एक नोडल विभाग होगा और वह राज्य स्तर पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यावयन औरउ निगरानी कासमन्वय करेगा इसी प्रकार केन्द्र पर ग्रामीण विकास मंत्रालय नोडल एजेंसी होगी ।

Misuse of Funds under Rozgar Yojana in Andhra Pradesh

3253. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there are complaints against the Sarpanches for misusing the Rozgar Yojana funds in Andhra Pradesh;

(b) at what stage of consideration the complaints are; and

(c) what action has been taken on them, district-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) As reported by the State Government, action has been completed in respect of 1681 complaints and 1247 complaints are pending for action. Whenever complaints are received on the implementation of JRY, the District Collector, initiates penal action, depending upon the nature of the complaint. These actions include suspension of Sarpanch, recovery of misappropriated amounts from the Sarpanch as arrears of land revenue, seizure of cheque drawing powers and getting the works executed through appointment of special officers and also the removal of sarpanches, under Section 50 of the Andhra Pradesh Gram Panchayat Act. District-wise information on the complaints received and action taken are however not maintained at the Central Level.

Amount Sanctioned for Rural Development in Andhra Pradesh

3254. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state what is the total amount sanctioned and spent in Andhra Pradesh under rural development, yearwise, for the last five years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): The total amount sanctioned/released and spent under major rural devlopment programmes viz. (i) Integrated Rural Development Programme (IRDP), (ii) Jawahar Rozgar Yojana (JRY), (iii) Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) and Drought Prone Area Programme (DPAP) in respect of Andhra Pradesh during the last five years, is given in the enclosed Statement.